

|                                                                                                   |                                                                                                |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                     | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                        | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | माघ 29, बुधवार, श॥के 1947- फरवरी 18, 2026<br>Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026 |                                                  |

भाग-1(ख)

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**जल संसाधन विभाग**

**घोषणा**

**जयपुर, जनवरी 29, 2026**

**संख्या:03/भू.अ./ज.स./2021/82-86:-** चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर बांध के आर.एल. 315.50 मीटर में डूब के ग्राम खेजड़ी के शेष रहे खसरा (952/1204, 956) की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि संलग्न सूची में वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली तथा अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, तृतीय बीसलपुर

**विवरण**

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा-19 के प्रस्ताव।

बीसलपुर परियोजना के आर. एल. 315.50 मीटर की डूब लाईन से प्रभावित होने वाले भूमि के व्यक्तियों/ कृषकों / भूमिधारकों की सूची।

| क्र. सं. | खातेदार का नाम                                 | किस्म जमीन       | खसरा नं.        | भूमि का कुल क्षेत्रफल है. में | अवाप्त हेतु रकबा है. | भूमि अवाप्ति अधिकारी |
|----------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | रामदेव, श्योजी, रमेष,<br>सोराज पिता हरनाथ भूला | बारानी<br>बारानी | 952/1204<br>956 | 0.12<br>0.32                  | 0.12<br>0.32         | अतिरिक्त<br>कलेक्टर  |

|  |                                                                                                                 |       |   |      |      |                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | पत्नि रंगलाल, गिरीराज<br>पिता रंगलाल ना.बा.<br>सरंक्षक माता खुद दाखी<br>पत्नि हरनाथ कौम रैगर<br>सा. देह खातेदार | उत्तम |   |      |      | (पुनर्वास) एवं<br>भूमि-<br>अवाप्ति<br>अधिकारी,<br>बीसलपुर<br>परि० देवली |
|  | योग                                                                                                             |       | 2 | 0.44 | 0.44 |                                                                         |

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत भूमि अवाप्ति की धारा-19 के प्रस्ताव।

#### इकजाईगोश्वारा

बीसलपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना जिला-अजमेर में प्रस्तावित बीसलपुर परियोजना के आर. एल. 315.50 मीटर की डूब में आयी ग्राम खेजड़ी के शेष रहें खसरा नं. (952/1204 रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा नं. 956 रकबा 0.32 हैक्टर) की भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि के निर्माण कार्य में आई भूमि का प्रस्तावित इकजाई गोश्वारा

| क्र. सं.  | गांव का नाम | ग्राम पंचायत | तहसील | कुल खसरा नं. | कुल भूमि | अवाप्त की जाने वाली भूमि (हैकटयेर) |        |          |
|-----------|-------------|--------------|-------|--------------|----------|------------------------------------|--------|----------|
|           |             |              |       |              |          | निजी भूमि                          | सरकारी | कुल भूमि |
| 1         | खेजड़ी      | सावर         | सावर  | 952/1204     | 0.12     | 0.12                               | 0.00   | 0.12     |
| 2         |             |              |       | 956          | 0.32     | 0.32                               | 0.00   | 0.32     |
| कुल भूमि- |             |              |       |              |          | 0.44                               | 0.00   | 0.44     |

महेश कुमार राठी,  
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक)  
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।